33/यु०क०/04

प्रेषक,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तरांचल-देहरादून ।

सेवामें,

सचिव,
युवा कल्याण,
उत्तरांचल शासन-देहरादून ।

संख्या- 14 /दो-914/या0से0वाहन/2004-2005 दिनांक 6 अप्रैल , 2004

विषयः- **उत्तरांचल के दो प्रमुख यात्राधाम मार्गों पर मोबाइल जिप्सियां यात्री सेवा वाहन के रूप में चलाये जाने के प्रस्ताव विषयक ।**

महोदय,

अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 02.04.2004 को आयोजित यात्रा व्यवस्था 2004 सम्बन्धी बैठक में हुई चर्चा के आधार पर एवं पूर्व प्रेषित प्रस्ताव पर आपके निर्देश दिनांक 05.04.2004 के परिपालन में उत्तरांचल के दो प्रमुख यात्रा धाम के मार्गों पर मोबाइल जिप्सियां चार धाम यात्री सेवा वाहन के रूप में चलाये जाने सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव तैयार कर संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न- प्रस्ताव

भवदीय,
6.4.04
(अजय कुमार अग्रवाल)
विशेष कार्याधिकारी,
कृते-निदेशक ।

श्री बद्रीनाथ एंव श्री गंगोत्री धाम यात्री सेवा वाहन

चारधाम यात्रा मार्गो पर दुर्घटना, दैवीय आपदा, भू–स्खलन आदि के समय यात्रियों की सहायता एवं चारधाम यात्रा मार्ग से सम्बन्धित समस्त तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों की जानकारी यात्रियों को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा युवा कल्याण विभाग के सहयोग से निम्न मार्गो पर मोबाइल जिप्सीयों चारधाम यात्री सेवा वाहन के रूप में चलाये जाने का प्रस्ताव है। जिससे कि श्री बद्रीनाथ एवं श्री गंगोत्री यात्रा मार्गो पर Visible Presence of Government प्रकट हो सके।

बद्रीनाथ मार्ग :–

1– ऋषिकेश से श्रीनगर
2– श्रीनगर से चमोली
3– चमोली से बद्रीनाथ

गंगोत्री मार्ग :–

1– चम्बा से उत्तरकाशी
2– उत्तरकाशी से गंगोत्री

उक्त वाहनों में अपने रूट से सम्बन्धित समस्त तीर्थ स्थलों, पर्यटक स्थलों, पर्यटक आवास गृहों, पेट्रोल पम्प, स्वास्थ्य सेवाओं आदि की जानकारी एवं सभी महत्वपूर्ण फोन नम्बर, प्राथमिक चिकित्सा किट, आक्सीजन सिलेन्डर, वायरलैस अथवा मोबाइल फोन उपलब्ध रहेगे। उपरोक्त वाहनों पर लाउडस्पीकर, सायरन, फागलाईट आदि भी लगे रहेगे। जिससे कि यात्रियों द्वारा इनकी पहचान की जा सके।

प्रत्येक रूट की लम्बाई लगभग 100 कि0मी0 रखी गयी हैं। यात्रियों की सहायता हेतु तैनात किये गये वाहन अपने–अपने रूट पर प्रातः छः बजे से चलना प्रारम्भ होगे तथा लगभग पॉच घंटे बाद अपने रूट के अन्तिम गन्तव्य स्थल तक पहुचेगें। पुनः एक बजे से चलकर सायं छः बजे तक अपने रूट के प्रारम्भिक स्थल तक पहुच जायेगें। एक रूट पर दो वाहन तैनात किये जायेगे। प्रत्येक वाहन में चार प्रशिक्षित पी0आर0डी0 के स्वयं सेवक एवं उस क्षेत्र के क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी तैनात रहेगे। उपरोक्त वाहन अपने–अपने रूट के यात्रियों की सहायता करेगें एवं आकस्मिक दुर्घटना/दैवीय आपदा की स्थिति में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, सचिवालय स्थित दैवीय आपदा नियंत्रण कक्ष एवं पर्यटन विभाग के मुख्यालय को सूचित करेगे, जिससे कि यात्रियों को तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जा सके। वाहनों पर तैनात स्वयं सेवकों एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों को 15 दिन का मूलभूत प्रशिक्षण भी दिया जायेगा, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी सम्मिलित रहेगा।

उपरोक्त योजना को 01 मई से 31 मई तक संचालित किया जायेगा। इस पर निम्न प्रकार व्यय होने का अनुमान है :–

1–	10 जिप्सीयों के किराये पर व्यय (10x1500x31)	–	रू0 4,65,000/–
2–	पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों के मानदेय पर व्यय (40x85x31)	–	रू0 1,05,400/–
3–	मोबाइल फोन के किराये पर व्यय (10x2000x1)	–	रू0 20,000/–
4–	सायरन, फागलाईट, आक्सीजन सिलेडर, प्राथमिक चिकित्सा किट आदि पर व्यय (10x20,000)	–	रू0 2,00,000/–
5–	अन्य आकस्मिक व्यय	–	रू0 1,00,000/–
	कुल धनराशि	–	रू0 8,90,400/–

(रू0 आठ लाख नब्बे हजार चार सौ मात्र)

विशेष कार्याधिकारी
एवं–निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल
उत्तरांचल, देहरादून